

18.10.24 वकील यादवजी ने पत्र लिखा कि वे अपने  
कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।  
दिनांक 18.10.24 को पत्र दे

18/10/24  
पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर  
दौर/अवकाश के दौरान आधिकारिक कार्य में  
व्यस्त रहने के कारण अगस्त पूर्व अगस्त की  
पालना में दिनांक 10/12/24 को पत्र है।  
आदेशानुसार  
3  
रिज

उपस्थंड अधिकारी, नसीराबाद

34  
2024  
10/12/24  
Not Pross  
Ranjit

वकील यादवजी ने पत्र लिखा कि पत्रकार के प्रश्न को  
विचारित करी 2 दिन के बाद पत्रकार को कार्यवाही  
की जायेगी। वकील यादवजी के रिक्वेस्ट पर  
नोटिस देकर कार्रवाई किया जायेगा। पत्रकार को  
अनुमति देकर पत्रकार के कार्य को लौटा दिया जायेगा।

आदेशानुसार

